

न्यायालय:-लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अलीराजपुर म0प्र0

आपराधिक प्रकरण क्रमांक :-193 / 2011

चालान प्रस्तुति दिनांक :- 29 / 03 / 2011

फाईलिंग नंबर 235001000082011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र

नानपुर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) :::: (अभियोगी)

विरुद्ध

01. जगेसिंह पिता तेनसिंह, भील, उम्र 40 वर्ष,
02. कुंवरसिंह पिता वेस्ता, भील, उम्र 25 वर्ष, **फरार घोषित**
03. लक्ष्मण पिता चमार, भील, उम्र 27 वर्ष, **फरार घोषित**
04. छोटू पिता सैकड़िया भील, उम्र 25 वर्ष, **फरार घोषित**
निवासीगण-ग्राम जामनी धोलानी फलिया,
05. विजय उर्फ मुन्ना पिता शान्तिलाल सोनी, **पूर्व में राजीनामा**
निवासी जोबट जिला-अलीराजपुर म0प्र0
:::: (अभियुक्तगण)

:::: निर्णय ::::

(आज दिनांक 27 / 04 / 2018 को घोषित)

01. प्रकरण में मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त विजय सोनी के विरुद्ध धारा 411 भा.दं.सं. तथा अभियुक्त कुंवरसिंह, लक्ष्मण, छोटू, जगेसिंह के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन यह दोषारोप है कि उन्होंने दिनांक 19/12/10 को सूर्यास्त के पश्चात व सूर्य उदय के पूर्व थाना नानपुर से आधा कि.मी. पश्चिम नानपुर कुम्हार मोहल्ला में रामलाल के

आधिपत्य की चांदी के तोड़े, पाईजब, सोने की लुमडी (झूमकी) चुराने के इरादे से प्रवेश कर रात्रोप्रछन्न गृहअतिचार या रात्रों गृहभेदन कारित किया है एवं आपने फरियादी रामलाल के रहवासी मकान से रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार या रात्रो गृहभेदन कारित कर चांदी के तोड़े, पाईजब, सोने की लुमडी (झूमकी) ले जाकर बेईमानीपूर्वक आशय से बिना अनुमति के ले जाकर चोरी कारित की है।

02. अभियोजन प्रकरण का सार इस प्रकार है कि, फरियादी रामलाल गुजरात में देवगढ़ मटके व कवेलू बनाने परिवार सहित चला गया था उसे दिनांक 19.12.10 रविवार को फोन पर उसे दिनेश कुम्हार ने बताया था कि तेरे घर खिड़की तोड़कर अज्ञात बदमाश घर में घुसे होंगे। खिड़की टूटी है तो फरियादी नानपुर आकर घर में चैक किया तो चांदी की रकमे तोड़े, पायजब तथा कपड़े व सोने की झूमकी जोड़ पेटी में नहीं थे कोई बदमाश चोरी कर ले गया था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 2/11 धारा 457, 380, 411 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. प्रकरण में अभियुक्त विजय सोनी एवं फरियादी रामलाल के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त विजय सोनी को धारा 411 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा अभियुक्त कुंवरसिंह, लक्ष्मण, छोटू, प्रकरण में फरार है।

04. अभियुक्तगण को निर्णय की कंडिका-1 में वर्णित अपराध का आरोप पत्र पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। अभियुक्त जगेसिंह के विरुद्ध धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत

परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोष होना और झूठा फंसाया जाना बताया तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

05. प्रकरण के विधिसंगत निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

- (01) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 19/12/10 को सूर्यास्त के पश्चात व सूर्य उदय के पूर्व थाना नानपुर से आधा कि.मी. पश्चिम नानपुर कुम्हार मोहल्ला में रामलाल के आधिपत्य की चांदी के तोड़े, पाईजब, सोने की लुमड़ी (झूमकी) चुराने के इरादे से प्रवेश कर रात्रोप्रछन्न गृहअतिचार या रात्रों गृहभेदन कारित किया है ?
- (02) क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी रामलाल के रहवासी मकान से रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार या रात्रो गृहभेदन कारित कर चांदी के तोड़े, पाईजब, सोने की लुमड़ी (झूमकी) ले जाकर बेईमानीपूर्वक आशय से बिना अनुमति के ले जाकर चोरी कारित की है ?

:::: सकारण विनिश्चय ::::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निराकरण : —

06. साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के घर से उसके आधिपत्य की चांदी के तोड़े, पाईजब, सोने की लुमड़ी (झूमकी) चोरी हुई थी। फरियादी रामलाल (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभिसाक्ष्य दी है कि घटना एक साल पहले उसके यहां चोरी हो गई थी चोरी रात में हो गई थी चोर (दागिना) सामान और पैसे ले गये थे, रुपये 80000/- थे दागिने में पाईजब, कंदोरा, तीन पांव चांदी हो

गई थी जिसकी रिपोर्ट थाना नानपुर पर की थी जो प्रपी. 1 थी पुलिस ने मेरी निशादेही में घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रपी. 2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

07. साक्षी दिनेश (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभिसाक्ष्य दी है कि घटना 3-4 वर्ष पूर्व रात्रि नानपुर पुल के पास फरियादी रामु उर्फ रामलाल के घर की है। इसी साक्षी का यह भी कहना है कि मैंने सुबह उठकर देखा तो रामलाल गुजरात गया हुआ था उसके घर के दरवाजे खिड़की खुली हुई थी अंदर जाकर देखा तो बिस्तर पेटी व तीजोरी खुली हुई थी। मैंने रामलाल को फोन करके बताया कि आपके यहां चोरी हो गई है। फरियादी की पत्नि पारलीबाई (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभिसाक्ष्य दी है कि उसने अपने घर नानपुर की घटना होना बताया है और यह भी बताया है कि घटना के समय हम गुजरात मजदूरी करने चले गये थे और रात्रि में घर से सोने के दो मंगलसूत्र, सोने की दो कान की बाली, सोने के दो सोने के काटे, चांदी घर से 12 किलो चोरी गई चांदी में पांव के कड़िया, पाईजब, कंदोरा, हाथ के बास्टिया, हाथ के कड़े चोरी गये थे। दिनेश ने हमको फोन करके बताया और हम घर आकर देखे तो घर की खिड़की, तोड़कर चोरो ने घर से चोरी की। ऐसे में इन साक्षियों की साक्ष्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी. 1 का समर्थन होकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के समर्थन होकर पुष्टिकारक साक्ष्य रही है। ऐसे में साक्षियों की साक्ष्य से घटना, दिनांक, समय व स्थान से फरियादी के घर से उक्त सामान चोरी होना युक्तियुक्त रूप से प्रकट होता है।

08. प्रकरण में इस बिन्दू पर विचार किया जा रहा है कि क्या चोरी का सामान अभियुक्त जगोसिंह के आधिपत्य से जप्त हुआ, इस संबंध में विवेचना कर्ता साक्षी आर.एन. मिश्रा (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन कथन में

अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 22.02.11 को थाना नानपुर के अपराध क्रं. 2/12 की विवेचना मिली थी विवेचना के दौरान आरोपी जगेसिंह को उप जेल जोबट से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी. 5 का बनाया था व उसी दिनांक को आरोपी से एक मेमोरेण्डम तैयार किया था व अभियुक्त के द्वारा चोरी का माल सोनी को बेचना बताया है, जिसका मेमोरेण्डम प्रपी. 16 है। इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि मेमोरेण्डम प्रपी. 16 में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष नहीं बनाया था। मेमोरेण्डम प्रपी. 16 पर दृष्टिपात करते हैं तो आरोपी जगेसिंह के आधिपत्य से क्या चोरी की वस्तु (मश्रूका) जप्त की गई है जप्त मश्रूका क्या थी। इस बारे में मेमोरेण्डम प्रपी. 16 में चोरी गई मश्रूका बरामद कराये जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना भी प्रथम दृष्टिया प्रकट नहीं होता है तथा क्या-क्या चोरी गई वस्तुएं थी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है।

09. साक्षी कामेश्वर (अ.सा.4) ने अपने कथन में मात्र आरोपी जगेसिंह को फार्मल गिरफ्तारी लिये जाने के कथन किये हैं इसके अतिरिक्त साक्षी ने मेमोरेण्डम प्रपी.16 के संबंध में लेशमात्र कथन नहीं किये हैं ऐसे में आरोपी जगेसिंह ने मेमोरेण्डम प्रपी. 16 के अनुसार चोरी की मश्रूका सोनी को बेची हो, तथा सोनी से जप्त की हो साक्ष्य का अभाव है। ऐसे में मेमोरेण्डम साक्षी आर. एन. मिश्रा (अ.सा.7), कामेश्वर (अ.सा.4) की साक्ष्य अनुसार अभियुक्त जगेसिंह ने चोरी की मश्रूका का कुछ हिस्सा सोनी को बेची हो, ऐसी मेमोरेण्डम की साक्ष्य दी हो यह भी प्रथम दृष्टिया साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है जो मामले में संदेह कारित होता है।

10. प्रकरण में जहां तक चोरी की मश्रूका की शिनाख्ती का संबंध है तो इस बाबद फरियादी रामलाल (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभिसाक्ष्य दी है कि घटना के दौरान चोरी गये सामान (मश्रूका) की शिनाख्ती

पुलिस ने करवाई थी, जिसमें चांदी का बास्टिया, नाहर मुख 200 ग्राम, दो चांदी के गजरे, पचान राकेश व मनिष के समक्ष नानपुर सरपंच की उपस्थिति में करवाई थी, जो प्रपी. 3 है तथा शिनाख्ती कर्ता साक्षी जया (अ.सा.2) ने भी अभिसाक्ष्य में यह प्रकट किया है कि एक चांदी का बास्टिया 200 ग्राम, दो चांदी के पाईजब 100 ग्राम, तथा मिलाई गई चांदी के बास्टिया 4 जोड़ी, चांदी के गजरे 5 जोड़, चांदी के पाईजब मिलवाये थे और फरियादी रामलाल से चोरी की वस्तु की पहचान करवाई थी, जो शिनाख्ती मेमो प्रपी. 3 है। इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पंचायत भवन नानपुर में फरियादी रामलाल अपना सामान (मश्रूका) साथ में लेकर आया था और यह भी स्वीकार किया है कि फरियादी के सामान (मश्रूका) के अलावा वहां पर कोई सामान नहीं था। पंचान साक्षी राकेश (अ.सा.3) की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट नहीं है कि शिनाख्ती के दौरान चोरी गई सामान (मश्रूका) के अलावा क्या क्या सामान (मश्रूका) मिलाया था इन साक्षियों की साक्ष्य से स्पष्ट तथ्य प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अभियुक्त जगोसिंह से चोरी का सामान (मश्रूका) जप्त हुई हो। साक्षियों की साक्ष्य से प्रथम दृष्टिया प्रकट नहीं होता है। ऐसे में मेमोरेण्डम प्रपी. 16 के साक्षी आर. एन. मिश्रा (अ.सा.7) के कथन व मेमोरेण्डम अनुसार चोरी का माल सोनी के यहां बेचने की साक्ष्य एवं मेमोरेण्डल की साक्ष्य भी विश्वसनीय स्वरूप की प्रथम दृष्टिया प्रकट नहीं होती है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहदेवन वि० तमिलनाडू राज्य (2012) 6 एस०सी०सी० 403, वकार वि० उत्तरप्रदेश राज्य (2011) 3 एस०सी०सी० 306 एवं गुरप्रीतसिंह वि० हरियाणा राज्य 2003 एस०सी०सी० (कि०) 186 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में अभियोजन के उपर इसे साबित करने का

भार होता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कड़ियाँ एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हैं, जिसमें बिना किसी संदेह के यहीं उपधारणा की जा सकती है कि आरोपी जगोसिंह के द्वारा ही अपराध कारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह न्यायालय के बाहर की संस्वीकृति अभिलेख पर प्रस्तुत की जाती है, तब उसके सुनी सुनाई बातों पर आधारित होने पर न्यायालय को उसका मूल्यांकन अधिक सावधानी व सर्तकता से किया जाना चाहिए। इसी मामले में मान० उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के बाहर की संस्वीकृति के साक्ष्यिक महत्व पर विचार करते हुए यह भी कहा है कि ऐसी संस्वीकृति एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है तथा न्यायालय को उस पर विश्वास करने के पहले अन्य अभियोजन साक्ष्य से उसकी संपुष्टि की जानी आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायालय के बाहर की संस्वीकृति सारभूति विरोधाभास एवं अंतर्निहित असंभाव्यता से भरी होती है। इसलिए ऐसी संस्वीकृति के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ऐसे साक्ष्य पर यदि न्यायालय विश्वास नहीं करता तब ऐसा पूरी तरह उचित माना जा सकता है।

12. विवेचना कर्ता साक्षी आर.एन. मिश्रा (अ.सा.7) के द्वारा अभियुक्त जगोसिंह का मेमोरेण्डम प्रपी. 16 में चोरी गये सामान (मश्रूका) का जप्त कराये जाने के संबंध में लिया गया मेमोरेण्डम में चोरी के सामान (मश्रूका) स्पष्ट उल्लेख नहीं है क्या क्या सामान मेमोरेण्डम अनुसार जप्त करना व किस सोनी से वस्तुएँ जप्त करना है मेमोरेण्डम में तथ्यों का अभाव होने से साक्ष्य एवं मेमोरेण्डम विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

ऐसे में कोई चोरी का सामान (मश्रूका) अभियुक्त जगोसिंह के आधिपत्य से जप्त हुआ हो। प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है, जो कि मामले की परिस्थितियों को एक ही कड़ी से जोड़ा जाता हो। ऐसी भी उक्त साक्षी की

साक्ष्य सुसंगत रूप से दर्शित नहीं होता है।

13. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 445 के अनुसार कोई व्यक्ति गृहभेदन करता है माना जा सकता है कि यदि उन्हे स्वयं किसी प्रकार गृह भेदन किया है या किसी अन्य के द्वारा इस प्रकार से खोले गये मकान में व अपराध करने के लिए प्रवेश करता है। ऐसी अवस्था में इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति चोर साबित होता है तो प्रवेश कर चोरी की ऐसा माना जा सकता है। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति चोर है उसे गृहभेदन करता माना जा सकता है इस प्रकरण में अभियुक्त जगेशिंह चोर होना प्रमाणित नहीं है तब उसे गृहभेदन किया हो यह मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकरण में फरियादी रामलाल (अ.सा.1) तथा उसकी पत्नी पारलीबाई (अ.सा.6), दिनेश (अ.सा.5), ने अपने कथनों में बताया है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रात्रि में फरियादी रामलाल के घर में चोरी कर सोना, चांदी की रकमे चोरी करके ले गये। विवेचना कर्ता आर.एन.मिश्रा (अ.सा.7) ने अभियुक्त जगेशिंह को घटना दिनांक लगभग 2 माह बाद उप-जेल जोबट से गिरफ्तार किया है किस आधार पर गिरफ्तार किया है इस बाबद कोई विधिवत् प्रमाण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किये हैं और ना ही साक्ष्य दी गई है। ऐसे में घटना दिनांक को अभियुक्त जगेशिंह के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फरियादी रामलाल के घर में रात्रि गृहअतिचार कारित कर गृहभेदन किया हो। अभिलेख पर आई साक्षियों की साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से प्रकट नहीं होता है।

14. उपरोक्त की गई साक्षियों की साक्ष्य विवेचना उपरांत अभियोजन अपना मामला तदनुसार उक्त विचारणीय बिन्दू संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त जगेशिंह को धारा 457, 380 भा0दं0सं0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त जगोसिंह के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
16. अभियुक्त जगोसिंह द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
17. प्रकरण में अन्य आरोपी कुंवरसिंह, लक्ष्मण, छोटू फरार होने से जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण में आरोपी कुंवरसिंह, लक्ष्मण, छोटू फरार होने से प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(लक्ष्मण डोडवे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अलीराजपुर (म.प्र.)

(लक्ष्मण डोडवे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अलीराजपुर (म.प्र.)